न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3096 /विधि

सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-36/2023 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आपूर्ति अपीलवाद सं0-07/2022 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-01 से 08 तक तथा अन्य कागजात-09 से 44 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- बेचन ऋषिदेव, पति-रघु ऋषिदेव, सा0-उजानी टोला, वार्ड नं0-07, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0...से..तक

जिला.., सं0.., सन् १९....................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
17/10/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-36/2023** **बेचन ऋषिदेव..........................पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य.....................रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद बेचन ऋषिदेव, पिता-रघु ऋषिदेव, सा0-उजानी टोला, वार्ड नं0-07, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा के न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद सं0-07/2022 में 22.12.2022 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है। संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक-148 दिनांक 18.11.2021 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री बेचन ऋषिदेव, जन वितरण प्रणाली के दुकान की जाँच की गई। जाँचोपरान्त ई-पॉश मशीन में प्रदर्शित अवशेष भंडार के अनुरुप गोदाम में खाद्यान्न नहीं पाया गया। इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को देते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-07 ई.सी. के तहत उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के आदेश ज्ञापांक-2989/सा0, दिनांक 19.11.2021 के द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की गई। अपीलार्थी के गिरफ्तार हो जाने के कारण उनके पुत्र के द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्त किया गया। समय पर जबाव नहीं समर्पित होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा	

ज्ञापांक 3345 दिनांक 21.12.2021 से किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के पुत्र के द्वारा दिनांक 27.12.2021 को दोनों कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। विक्रेता की ओर से जाँच के दिन ई-पॉश मशीन में प्रदर्शित खाद्यान्न के भंडार में नहीं होने से संबंधित किसी प्रकार का संतोषजनक जबाव या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया, जिससे कि उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार माना जा सके। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के आदेश ज्ञापांक-255/दिनांक 18.01.2022 से पुनरीक्षणकर्त्ता के अनुज्ञप्ति सं0-25/2007 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा में पी0डी0एस0 अपीलवाद संख्या-07/2022 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के उपरान्त उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पुनरीक्षकर्त्ता के अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश को सही पाया गया तथा उक्त अपीलवाद को खारिज कर दिया गया, जिसके पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत वाद लाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि न्यायिक हिरासत में होने के कारण आवेदक के स्थान पर उनके पुत्र के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्थानीय गंदी राजनीति के चलते प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए उनके दुकान की जाँच की गई। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने से संबंधित आदेश पारित किये जाने के समय वे न्यायिक हिरासत में थे। जिस कारण उनके द्वारा बिना कारण पृच्छा समर्पित किये अथवा उनका पक्ष जाने बिना आदेश पारित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। उनके अनुसार किसी भी लाभुक के द्वारा उनके विरूद्ध खाद्यान्न नहीं मिलने का आवेदन किसी भी पदाधिकारी को नहीं दिया गया और न ही किसी लाभुक का अनुज्ञप्ति रद्द करने से पूर्व गवाही ही लिया गया। उनके अनुसार उक्त तथ्य को माननीय जिला सत्र न्यायधीश द्वारा अपने जमानत आदेश में अंकित किया गया कि कोई भी लाभुक और स्वतंत्र गवाह के द्वारा इसमें अपनी गवाही दर्ज नहीं कराया है। उनका कहना है कि वे अनुसूचित जाति से है तथा पूर्णतः अपने लाभुकों के प्रति समर्पित है। किसी सूचक के द्वारा पास के डीलर को अनुचित लाभ पहुँचाने हेतु साजिश के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जाँच करवाकर

उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करायी गयी है। उक्त तथ्यों के आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को खंडित करते हुए उनके जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को पुनर्बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

वाद की सुनवाई के क्रम में कार्यालय के पत्रांक -2339 दिनांक 23.08.2023 से पुनरीक्षणकर्त्ता के वादपत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से कंडिकावार मंतव्य मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना के खाद्यान्न यथा गेहूँ 5802 किलोग्राम एवं चावल 7733 किलोग्राम की कालाबाजारी किये जाने के आरोप में उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0-335/2021 के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, उदाकिशुनगंज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। उक्त के आधार पर आरोपी डीलर की अनुज्ञप्ति सं0-25/2007 को आदेश ज्ञापांक 2989 दिनांक 19.11.2021 से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1750, दिनांक 10.03.2016 की कंडिका सं0-27 (ii) के आलोक में कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। आरोपी डीलर के कारावास में रहने के कारण उनके पुत्र के द्वारा दिनांक 27.12.2021 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। विभागीय अधिसूचना सं0-1750 दिनांक 10.03.2016 की कंडिका-25 (ड.) के उल्लंघन तथा कोविड-19 महामारी के आलोक में सरकार द्वारा PMGKAY के तहत उपलब्ध करायी जा रही मुफ्त खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में तथा Epidentic Diseases Act के सुसंगत प्रावधानों में दिये गये निदेश के उल्लंघन की आरोप में उनकी अनुज्ञप्ति संख्या-25/2007 को आदेश ज्ञापांक 255/सा0, दिनांक 18.01.2022 से रद्द किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज पर लगाया गया आरोप निराधार तथा तथ्य से परे है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि निरीक्षण के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालन में पायी गई गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोपी डीलर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा आरोपी डीलर को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई तथा समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखा गया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित न्यायादेश के आलोक में सही है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते

हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।